SEMESTER – II

CC – 8

प्राचीन भारत में कृषि

➢ **इकाई की रूप-रेखा :**

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 सैंधवकालीन कृषि और किसान

8.3 वैदिककालीन कृषि और किसान

8.4 मौर्यकालीन कृषि और किसान

8.5 गुप्तकालीन कृषि और किसान

8.6 सारांश

Vetted by :

प्रो॰ (डॉ॰) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9835463960

डॉ॰ राजेश कुमार

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9430934482

मौर्यकालीन कृषि और किसान

- **उद्देश्य :–**

  इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

  - मौर्यकालीन किसान के बारे में जान पाएँगे ।
  - मौर्य काल में भूमि के विभिन्न प्रकार को जान पाएँगे ।
  - कृषि उत्पादों के बारे में जान सकेंगे ।
  - मौर्य काल में उपलब्ध सिंचाई के साधनों के बारे में जान पाएँगे ।
  - कृषि से संबंधित राज्य द्वारा वसूले गए करों तथा कृषि कार्य से संबंधित मौर्यकालीन अधिकारियों के बारे में जान पाएँगे ।

- **प्रस्तावना :–**

CC–8 के इस इकाई में 'प्राचीन भारत में कृषि' के बारे में मैंने पिछले दो खंडों में 'सिंधु सभ्यता में कृषि तथा किसान' एवं 'वैदिककालीन कृषि तथा किसान' की चर्चा की थी । इस इकाई के इस खंड में मौर्यकालीन कृषि तथा किसान के बारे में जानकारी दी गई है । मौर्य काल में तकनीकी के विकास के कारण कृषि योग्य भूमि का विकास तेजी से हुआ । राजकीय संरक्षण कृषि एवं किसानों को दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष उत्पादन बढ़ता गया । इस अधिशेष उत्पादन के कारण इस समय एक ओर जहाँ व्यापार–वाणिज्य का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए बड़े पैमाने पर भंडार–गृह भी बनाए गए ।

- **मौर्यकालीन किसान :–**

भारत में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि एवं पशुपालन रहा है । मौर्य काल में भी राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य–व्यापार रहा था, जिसे सम्मिलत रूप से 'वार्त्ता' (वृत्ति का साधन) कहा जाता था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को वैश्यों और शूद्रों का साधारण जीविका बताया गया है । तात्कालीन स्त्रोतों से जानकारी मिलती है कि किसानों की अवस्था उस समय बहुत संतोषजनक थी । किसान नम्र और सज्जन थे । जनसंख्या का अधिकांश भाग किसानों की ही रही थी । ग्रीक पर्यवेक्षकों का कहना है, कि वे युद्ध करने तथा

अन्य सार्वजनिक कार्यों से मुक्त थे और अपना सारा समय कृषि कर्म में लगाते थे । ये किसान जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि के विस्तार में लगे रहते थे । राज्य की ओर से किसानों को संरक्षण प्राप्त था । अर्थशास्त्र के अनुसार किसान या राजकर्मचारी जो राजसेवा और अन्नोत्पादन से जुड़े थे, उन्हें ऋणदाता गिरफ्तार नहीं करवा सकता था । किसानों का इस समय एक अलग वर्ग हुआ करता था । मेगास्थनीज के अनुसार इस समय भारतीय समाज सात वर्गों में बंटा था :

(i) दार्शनिक
(ii) कृषक
(iii) गोपालक और शिकारी
(iv) व्यापारी तथा शिल्पकार
(v) सैनिक
(vi) निरीक्षक
(vii) सभासद

इस समय कृषक वर्ग के परिश्रम का ही परिणाम था, कि खेती के विकास से जुड़े हुए आर्थिक क्षेत्र के बिचौलियों के बीच से वणिक नामक वर्ग का भी कृषि क्षेत्र में जन्म हुआ, जो फालतू सामान खरीदकर जरूरतमंदों को देकर लाभ कमाता था ।

इस प्रकार मौर्यकालीन किसान कृषि को समृद्धि का केंद्र मानकर आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य में लगा रहता था ।

- **भूमि का वर्गीकरण :–**

मौर्य काल में विभिन्न प्रकार से भूमि का वर्गीकरण किया गया था । भूमि करों का निर्धारण भी इसी वर्गीकरण के आधार पर किया जाता था । इस समय भूमि का विभाजन तीन श्रेणियों में किया जाता था : (i) उत्तम, (ii) मध्यम तथा (iii) निम्न । इसके बाद उस गाँव को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में रखा जाता था :

(i) करमुक्त गाँव (परिहारक)
(ii) सैनिक आपूर्ति करने वाला गाँव (आयुधिक)
(iii) अनाज, मवेशी, सोना अथवा कच्चे माल के रूप में कर देनेवाला गाँव (कुप्य)

इसी तरह कौटिल्य ने अपनी रचना 'अर्थशास्त्र' में तीन प्रकार की भूमि का वर्णन किया है :

(i) कृष्ट भूमि (जुती हुई भूमि)

(ii) अकृष्ट भूमि (बिना जोती गई भूमि)

(iii) स्थल भूमि (बंजर भूमि)

खेती के अनुपयुक्त भूमि को राज्य चारागाह के रूप में विकसित करता था या ब्राह्मणों को तपोवन एवं अध्ययन केंद्र के लिए दे दिया जाता था । इस समय वैसी भूमि 'अदेवमातृक भूमि' कहलाती थी, जो बिना वर्षा के भी अच्छी पैदावार देती थी । मौर्य काल में कुछ भूमि सीधे राज्य के भी अधीन हुआ करती थी, जिसे 'सीताभूमि' कहा जाता था, जिसके अध्यक्ष 'सीताध्यक्ष' कहलाता था ।

- **कृषि-कार्य एवं प्रमुख उत्पादित फसल :–**

कृषि-कार्य के संदर्भ में ग्रीक लेखकों का कहना है, कि वर्ष के आरंभ में दार्शनिक लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर जनसमुदाय को अनावृष्टि, अनुकूल वायु तथा बीमारियों की पूर्व सूचना देते थे । वर्षा की प्रचुता के कारण सामान्यत: इस समय साल में कम-से-कम दो फसलें हो जाती थी : एक जाड़े में और दूसरी गर्मी के दौरान । जाड़ें में गेहूँ की बोआई होती थी और गर्मी के दौरान तिल और ज्वार की भी खेती होती थी । यदि इनमें एक समय का फसल अनावृष्टि या अन्य कारणों से नहीं भी हो पाती थी, तब भी दूसरी फसल पर पूरा विश्वास रहता था ।

मौर्य काल में खेत के लिए हल और बैलों का प्रयोग होता था । भूमि को खूब अच्छी तरह हल चलाकर तैयार किया जाता था, फिर उसमें नानाविध खादों को डालकर भूमि की उपज शक्ति को बढ़ाया जाता था । बाद के लिए गोबर, हड्डी और राख का प्रयोग होता था । इस युग में गेहूँ, चावल, मूंग, कपास, तिल तथा मोटा अनाज का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता था ।

किसानों को आज की ही तरह फसलों को बर्बाद होने का भय हमेशा बना रहता था । ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़, बेमौसम वर्षा, अग्निकांड, टिड्डियों के आगमन का डर तो किसानों को था ही, साथ-साथ जंगली पशु-पक्षियों से भी किसान भयभीत रहा करते थे । हालाँकि उनके रक्षा के उपाय भी किए गए थे । जंगली पशु एवं पक्षियों से फसलों का बचाव चरवाहों तथा शिकारियों द्वारा किया जाता था, जो शिविरों में या पहाड़ियों पर रहते थे ।

- **सिंचाई के साधन :–**

हालाँकि मौर्यकालीन किसान भी आज की ही तरह मानसून पर ही ज्यादा निर्भर था, फिर भी स्वयं के द्वारा या राज्य के द्वारा भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया गया था । कौटिल्य के अनुसार प्रमुख रूप से इस समय चार प्रणालियों अर्थात् हाथों से, कंधों पर पानी ले जाकर, यंत्रों के द्वारा या

नहरों, तालबों के द्वारा सिंचाई की जाती थी । प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकर ने अपनी रचना 'प्राचीन भारत : प्रारंभ से 1206 ई० तक' में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित साधनों का उल्लेख किया है :

(i) **हस्तप्रावर्तिमम् –** डोल, चरस आदि द्वारा कुएँ से पानी निकालकर सिंचाई करना

(ii) **स्कंधप्रावर्तिमम् –** कंधों की सहायता से पानी निकालकर सिंचाई करना

(iii) **स्त्रोतयंत्रप्रावर्तिमम् –** वायु द्वारा (पवन चक्की) खींचे हुए पानी को स्त्रोतयंत्रप्रावर्तिमम् कहते थे

(iv) **नदीसरस्तटाककूपोद्धाम् –** नदी, तालाब और कूप द्वारा सिंचाई करना

(v) **सेतुबंध –** बांध बनाकर उससे नहरें व नालियाँ निालकर उनसे सिंचाई करना

प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ इस समय के शासकों ने भी सिंचाई के साधनों को विकसित करने का प्रयास किया था । रुद्रदामन के **जूनागढ़ अभिलेख** (गुजरात) से जानकारी मिलती है, कि मौर्य शासक **चंद्रगुप्त मौर्य** ने गिरनार पहाड़ी पर **सुदर्शन झील** का निर्माण करवाया था, जबकि अशोक के द्वारा इस झील की मरम्मत भी करवाई गई थी । इसी तरह राज्य के द्वारा भी सिंचाई के साधनों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था । जैसे अगर कोई किसान तालाब को नये सिरे से बनाए तो उसे पाँच (5) साल के लिए भूमि कर से मुक्त कर दिया जाता था । संभवत: इसी साधनों को देखते हुए मेगास्थनीज का कहना था कि 'भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता' । हालाँकि मेगास्थनीज का आकलन गलत था ।

- **भूमि कर एवं संबंधित अधिकारी :–**

मौर्य काल में भूमि कर सामान्यत: उपज का छठा हिस्सा हुआ करता था । अशोक के **रुम्मिनदेई अभिलेख** (सबसे छोटा अभिलेख) से जानकारी मिलती है, कि जब अशोक धम्म-यात्रा के दौरान रुम्मिनदेई (लुंबिनी, नेपाल) गया, तब उसने वहाँ के किसानों की भूमि कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया, क्योंकि वह बुद्ध का जन्म स्थान था । इसके अलावा अगर भूमि को नहरों के पानी से सिंचित किया जाता था, तो इन किसानों से उत्पादन का 1/3, 1/4 या 1/5 भाग तक सिंचाई कर (सेतु कर) भी लिया जाता था । भूमि कर को इस समय 'बलि' कहा जाता था । विशेष आवश्यकता पड़ने पर राज्य 'प्रीति दान' या प्रणय कर भी इनसे वसूलता था ।

करों के वसूलने के औचित्य के संदर्भ में मेगास्थनीज स्ट्रेबो, एरियन आदि यूनानी लेखकों का कहना है, कि चूँकि सभी भूमि राजा की होती थी । लोग राजा के लिए खेती करते थे और उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में राजा को देते थे ।

प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए राज्य की ओर से बड़े-बड़े अन्नागारों का भी निम्रण किया गया था, जिसकी जानकारी हमें **'महास्थान अभिलेख'** एवं **'सोहगोरा अभिलेख'** से भी मिलती है । उस समय सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) की देख-रेख में कोपगृह, कोष्ठागार, कुप्पगृह, आयुधागार, बंधनागार आदि प्रकर के भंडारागार बनाये जाते थे । इनका रख-रखाव अन्नपुर जैसा ही किया जाता था । अर्थशास्त्र के लेखक का कहना है, कि संकट काल में राज्य को बीज तथा भोजन से लोगों की सहायता करनी चाहिए । इसी तरह कृषक के लिए औजारों का निर्माण करनेवाले शिल्पकारों को भी करों एवं मुक्त रखा गया था तथा उन्हें राजकोष से भी सहायता दी जाती थी ।

इन किसानों की देख-रेख तथा सहायता के लिए राज्य की ओर से समाहर्ता, स्थानिक, गोप आदि अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी । सीता भूमि (राजकीय भूमि) की देख-रेख 'सीताध्यक्ष' नामक अधिकारी करता था । राज्य करों की संग्रह तथा कृषि-कार्यों के देख-रेख के लिए पहली बार संगठित रूप से एक प्रशासनिक ढाँचा का भी गठन कर लिया था । इसमें 'ग्राम' प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी । इसका प्रधान **ग्रामिक** कहलाता था । 10 गाँवों के प्रधान **'संग्रहण'**, 200 गाँवों के प्रधान **'खर्वटिक'**, 400 गाँवों के प्रधान **'द्रोणमुख'** तथा 800 गाँवों के प्रधान **'स्थानीय'** कहलाता था । सभी अधिकारियों को एक-दूसरे के प्रति जिम्मेवार बनाया गया था ।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है, कि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था । किसानों को राज्य की ओर से भरपूर सहायता दी जाती थी । किसान भी पूरी मेहनत के साथ कृषि-कार्य करते थे, जिससे राज्य को सुगमतापूर्वक करों की प्राप्ति होती रहती थी, जिसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है ।

➢ Suggested Reading :–

1. राम शरण शर्मा : प्राचीन भारत
2. मजूमदार, राय चौधरी दत्त : भारत का वृहत् इतिहास
3. डी॰ एन॰ झा : प्राचीन भारत, एक रूप-रेखा
4. आर्थर लेवेलिन बाशम (ए॰ एल॰ बाशम) : अद्भूत भारत